Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/3367/2024
Filling No.	BA/43428/2024
CNR No.	MP0401-052156-2024

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.) सौरभ शर्मा आत्मज स्व0 डॉ0 राकेश शर्मा, आयु करीब 40 वर्ष, निवासी– ई–7, –78, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म0प्र0) ——— **आवेदक/अभियुक्त** **//–: बनाम :–//** मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा पुलिस थाना लोकायुक्त, भोपाल (म.प्र.) ——— **अनावेदक/अभियोजन** **दिनांक 26–12–2024** जमानत आवेदन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल आदेशसानुसार निराकरण हेतु अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त। आवेदक/अभियुक्त सौरभ शर्मा द्वारा श्री राकेश पाराशर, अधिवक्ता। अनावेदक/राज्य द्वारा श्री विवेक गोड़, विशेष लोक अभियेाजक उपस्थित। प्रकरण केस डायरी प्रस्तुति/जमानत आवेदन पत्र पर तर्क हेतु नियत है। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल से अपराध क्रं. 195/2024 अंतर्गत धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की केस डायरी प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुयी। आवेदक/अभियुक्त सौरभ शर्मा की ओर से श्रीमती उमा शर्मा पत्नि स्व0 राकेश शर्मा, आयु 65 वर्ष, निवासी विनय नगर सेक्टर–2, शब्द प्रताप आश्रम के पास, ग्वालियर, म0प्र0 ने स्वयं का इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक	

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/3367/2024
Filling No.	BA/43428/2024
CNR No.	MP0401-052156-2024

उसका पुत्र है। वह उसकी ओर से अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें पैरवी करने हेतु अभिभाषक श्री राकेश पाराशर एवं श्री सौरभ पाराशर एवं इनके सहयागी अधिवक्ता को नियुक्त किया है। जमानत आवेदन प्रथम होना एवं इसके अतिरिक्त उनकी ओर से कोई भी अग्रिम प्रतिभूति आवेदन पत्र इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया है और न ही लंबित है और न ही निराकृत होना उल्लेखित किया है। आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त चरण उसकी जानकारी में सही व सत्य है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सक्षेप में यह है कि पुलिस थाना लोकायुक्त द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध मिथ्या अपराध कायम कर लिया गया है जिसमें उसे गिरफ्तार किये जाने की आशंका है। आवेदक अभियुक्त वर्तमान में लोकसेवक नहीं है बल्कि जून 2023 में उसके द्वारा स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ली जा चुकी है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से आवेदक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया हैं। वर्तमान में आवेदक/अभियुक्त अपना निजी कारोबार करता है। वह सेवानिवृत्त लोक सेवक है ऐसी स्थिति में लोकायुक्त पुलिस को आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध छापा मारने अथवा अन्य कोई कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। आवेदक अभियुक्त ई–7, 78, अरेरा कॉलोनी, भोपाल म.प्र. का निवासी है। आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की दशा में इसके कहीं भाग कर जाने या साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। यदि पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार किया गया तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन है।

विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल की ओर से उप पुलिस अधिक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह ने उपस्थित होकर विरोध पत्र प्रस्तुत किया है जो संक्षेप में यह है कि आवेदक/अभियुक्त सौरभ शर्मा सेवानिवृत्त आरक्षक म0प्र0 परिवहन विभाग भोपाल के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन भोपाल में आय से अनानुपातिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर से

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/3367/2024
Filling No.	BA/43428/2024
CNR No.	MP0401-052156-2024

गोपिनिय सत्यापन उपरांत अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सर्च कार्यवाही के दौरान 2,85,0000/– रूपये नगद 50,0000/– से ज्यादा के आभुषण 2,10,0000/– से ज्यादा की चांदी एवं कई करोड रूपये के वाहन तथा विलासितापूर्ण जीवन में उपयोग में आनेवाला सामान बरामद हुआ है। अतिरिक्त मात्रा में अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हुये है जिसमें अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ कर अर्जित अवैध संपत्ति के स्त्रोत एवं सहयोगियो के नाम की जानकारी लिया जाना है। अपराध पंजीयन की दिनांक से आवेदक/अभियुक्त एवं उसकी पत्नि अपने को छिपाये हुये है। ऐसी सूचना प्राप्त हुयी है कि आवेदक/अभियुक्त संभवतः देश से बाहर दुबई में छिपे हुये है। यदि अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह विवेचना में सहयोग नहीं करेगा। अभियुक्त के मकान की तलाशी के दौरान अभियुक्त के परिवार के साथ चेतन सिंह गौड के नाम पर पंजीकृत इनोवा वाहन में आयकर विभाग द्वारा 52 किलोग्राम सोना तथा 10,000000/– रू. नगद राशि बरामद हुयी है। इस संबंध में भी अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ किया जाना है अतः अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन है।

उभय पक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह तर्क किया है कि आवेदक अभियुक्त वर्ष 2023 में स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है इसलिए वह वर्तमान में लोक सेवक नहीं है। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से अपराध पंजीबद्ध किया गया है आवेदक/अभियुक्त भोपाल का स्थायी निवासी है। उसके भाग कर जाने या साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावित नहीं है अतः अग्रिम जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना है।

विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने तर्क किया है कि आवेदक अभियुक्त वर्तमान में लोकसेवक नहीं है किंतु वह पूर्व में परिवहन विभाग में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहा है। और उसकी पदावधि के दौरान अवेध रूप से अपने आश्य को समृद्ध करने के अपराध के संबंध

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/3367/2024
Filling No.	BA/43428/2024
CNR No.	MP0401-052156-2024

में धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत कार्यवाही करने का विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त को क्षेत्राधिकार है। आवेदक/अभियुक्त अपराध पंजीबद्ध की दिनांक से ही फरार हो गया है। उसके द्वारा अन्वेषण में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। सर्च के दौरान आवेदक/अभियुक्त से अकूत संपत्ति जप्त हुयी है। जिसके संबंध में अन्वेषण की आवश्यकता है। अतः आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की प्रार्थना है।

केस डायरी का परीशीलन करने पर प्रकट होता है कि विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय भोपाल ने आवेदके/अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 195/2024 धारा 13(1)बी सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) पंजीबद्ध है। जिसमें सर्च कार्यवाही के दौरान आवेदक/अभियुक्त से 2,85,0000/– रूपये नगद 50,0000/– से ज्यादा के आभुषण 2,10,0000/– से ज्यादा की चांदी एवं कई करोड रूपये के वाहन तथा विलासितापूर्ण जीवन में उपयोग में आनेवाला सामान बरामद हुआ है। अतिरिक्त मात्रा में अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी प्राप्त हुये है जिसमें अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ कर अर्जित अवैध संपत्ति के स्त्रोत एवं सहयोगियो के नाम की जानकारी लिया जाना है।

आवेदक/अभियुक्त सेवानिवृत्त आरक्षक मध्यप्रदेश परिवहन विभाग का होना दर्शित किया गया है। यह स्पष्ट है कि वह लोकसेवक रहा है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)बी के अनुसार लोकसेवक द्वारा अपनी पदावधि के दौरान अपने अवैध रूप से अपने आश्य को समृद्ध करना आपराधिक अपचार की श्रेणी में आनेवाला अपराध है जो धारा 13(2) के दण्डनिय अपराध है। लोकसेवक की पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने आश्य को समृद्ध करने के अपराध का अन्वेषण करने में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का इस संबंध में किया गया तर्क मान्य किया जाने योग्य नहीं है एवं आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोडे जाने का यह कोई आधार नहीं है।

केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि

Order Sheet [Contd]

Bail Application No.	BA/3367/2024
Filling No.	BA/43428/2024
CNR No.	MP0401-052156-2024

आवेदक/अभियुक्त सर्च कार्यवाही के दौरान उपलब्ध नहीं हुआ है। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के विरोध पत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त से अचल संपत्ति के अभिलेख के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया जाना आवश्यक है तथा आवेदक अभियुक्त के सहयोगी के नाम से धारित इनोवा कार में 52 किलोग्राम सोना तथा 10,00,0000/– नगद राशि बरामद हुयी है जिसके संबंध में भी आवेदक/अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ किये जाने की आवश्यकता है।

अपराध के स्वरूप एवं अपराध की गंभीरता तथा अन्वेषण में अभियुक्त से पूछताछ किये जाने की आवश्यकता तथा अभियुक्त की अनुपलब्धता के तथ्य को ध्यान में रखते हुये इस न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोडा जाना समीचीन नहीं है। फलतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भा0ना0सु0सं0 **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी सीलबंद अवस्था में लौटायी जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में अंकित कर प्रकरण नियमानुसार अभिलेखागार भेजा जावे।

RAM PRATAP MISHRA

Digitally signed by RAM PRATAP MISHRA
Date: 2024.12.26 17:41:25 +0530

(राम प्रताप मिश्र)
विशेष न्यायाधीश
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988
भोपाल,म0प्र0